5̶5̶9̶
578

प्रेषक

यशेन्द्र सिंह, भा.प्र.से.,
उपायुक्त, रेवाड़ी।

प्रेषित

सहायक श्रम आयुक्त,
रेवाड़ी।

यादी कमांक 6625 /कोविड–19 दिनांक – 10/04/2020

विषयः– **संस्थाओं द्वारा श्रमिकों को माह मार्च–2020 का वेतन ना वितरण करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय पत्र कमांक 972 दिनांक 09.04.2020 के संदर्भ में।

संदर्भाधीन पत्र बारे आपको लिखा जाता है कि भारत सरकार द्वारा आदेश कमांक 40–3/2020/डीएम–1 (ए) दिनांक 29.03.2020 व इस कार्यालय के पत्र कमांक 2155/कोविड दिनांक 28.03.2020 के द्वारा आपको पहले ही लिखा जा चुका है कि आप जिला रेवाड़ी के सभी उद्योगपतियों को निर्देश देवें कि उनके अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान/बैंक खाते में स्थानांतरण करवाना सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सम्बन्धित थाना प्रबन्धकों से सम्पर्क स्थापित करके पत्र में वर्णित संस्थाओं के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के तहत नियमानुसार मुकदमा दर्ज करवाते हुए इस कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

10/04/2020
संजीव कुमार, एच.सी.एस.
नगराधीश, रेवाड़ी .,
कृतेः उपायुक्त, रेवाड़ी।

पृ.कमांक – 6626 /कोविड–19 दिनांक – 10/04/2020

इसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी को भेजकर अनुरोध है कि सभी थाना प्रबन्धकों को पाबन्द करने का कष्ट करें कि वह सहायक श्रम आयुक्त रेवाड़ी द्वारा उपरोक्त मामले में सम्पर्क करने पर शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

10/04/2020
संजीव कुमार, एच.सी.एस.
नगराधीश, रेवाड़ी .,
कृतेः उपायुक्त, रेवाड़ी।